COURT FEE INDIA
FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES

12

13/14 = [illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, गोरखपुर

वाद संख्या 12/09

महाराणा प्रताप महाविद्यालय जं० धूसड़
बनाम
सरकार

अन्तर्गत धारा 143 बावत जं० धूसड़
तप्पा खुटहन परगना हवेली तह० सदर
जिला - गोरखपुर
ता० फै० 14/5/09

नकल आदेश दि० 14/5/09 की छाया प्रति निकलना है —

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर गोरखपुर।

वाद सं0- 12 /-09 अन्तर्गत धारा-143 बावत मौजा जं0 धूसड़ तप्पा महाराणा प्रताप महा विद्यालय कुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर। जं0 धूसड़ ।

बनाम

सरकार।

आदेश
======

प्रस्तुत वाद डा0 प्रदीपराव प्राचार्य, महाविद्यालय जंगल धूसड़ , गोरखपुर द्वारा धारा-143 ज0वि0 अधि0 एवं भूमि सुधार अधिनियम के अर्न्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। कि मौजा जं0 धूसड़ तप्पा कुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में स्थित भूखण्ड सं0-444,863,950,952 को आवादी घोषित किया जाय।

उक्त के संबंध में तहसील से आख्या प्राप्त की गयी, तहसीलआख्या दिनांक-14-5-09 में यह उल्लिखित किया गया है कि विवादित आराजी सं0-444/-0-06है0,863/-0-486है0,950मि0/-0-954है0 तथा 952मि0/-0-756है0 कुल क्षेत्रफल 2-257है0है ।आराजियात के कुछ हिस्से में महाविद्यालय भवन बना हैतथा शेष भूमि चहारदिवारी के अन्दर है, जिसमें खेल का मैदान, सायकिल/मोटर सायकिल स्टैंड आदि है। जमीन महा बिद्यालय के कब्जे में है।

उक्त विवादित भूमि के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी सराय गुलरिया, गोरखपुर नें अपनें आख्या दिनांक-12-5-09 में उल्लिखित किया है कि चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक {सी0एच0-18}भूमि है तथा मालियत नहीं लगा है। उक्त भूमि पर महा विद्यालय भवन स्थित है। किसी नें कोई आपत्ति नहीं किया है। विवादित आराजियात पर कृषि कार्य नहीं होता है। तहसील आख्या एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सराय गुलरिया, गोरखपुर की रिपोर्ट से वादी के कथन की पुष्टि होती है।

अत: वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाता है और भूखण्ड सं0-444/-0-06है0,863/-0-486है0,950मि0/-0-954है0 तथा 952मि0/-0-756है0 कुल क्षेत्रफल-02-257है0 को आवादी घोषित किया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

14/05/09

{अरूण कुमार}
उप जिलाधिकारी-सदर
गोरखपुर।

डा0 प्रदीपराव
207
14-5-09
14-09
210
14-5-09
14-09

सत्य प्रतिलिपि
उप जिलाधिकारी सदर
गोरखपुर
14/5/09

प्रतिलिपिकर्ता
तुलनाकर्ता

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर